रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/96 REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 156] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 30, 1996/भाद्र 8, 1918
No. 156] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 30, 1996/BHADRA 8, 1918

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं. 371(पी एन)/92—97

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 1996

फा. सं. 1/11/71/96-97/पीसी-2 .—यथासंशोधित निर्यात और आयात नीति 1992—97 के पैराग्राफ 132 ग के साथ पठित पैराग्राफ 16 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक (भाग-1) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं।

2. विद्यमान पैराग्राफ 209 ख के बाद निम्नलिखित को एक नया पैराग्राफ 209 ग के रूप में जोड़ा जाएगा।

"विशेष आयात लाइसेंस 209 ग

नीति के पैराग्राफ 132 ग के उपबन्धों के अनुसार, निर्यात सदन, व्यापार सदन, और स्टार व्यापार सदन और सुपर स्टार व्यापार सदन के अलावा कोई निर्यातक जिसने पिछले लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान 5 करोड़ रुपये या अधिक मूल्य या पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान औसतन 2 करोड़ रुपये या अधिक के पोत पर्यन्त मूल्य के सॉफ्टवेयर सहित, लेकिन मान्य निर्यातों को छोड़कर, माल और सेवाओं का प्रत्यक्ष निर्यात किया हो, वह निर्यातक 1-4-1996 को या उसके बाद किए गए ऐसे प्रत्यक्ष निर्यात के पोत पर्यन्त मूल्य के 4 प्रतिशत की दर से विशेष आयात लाइसेंस का पात्र होगा"।

3. पात्र निर्यातक, निर्धारित प्रलेखों सहित परिशिष्ट-14 भाग-ख में दिए गए फार्म भर कर 6 माह की अवधि के भीतर ऐसे दावे प्रस्तुत करेगा। विशेष आयात लाइसेंस परिशिष्ट 35 में विनिर्दिष्ट मदों के आयात के लिए दिए जाएंगे। ऐसे आयात लाइसेंस मुक्त रूप से हस्तांतरित किए जा सकेंगे।

4. इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

श्यामल घोष, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE NO. 371(PN)/92—97

New Delhi, the 30th August, 1996

F. No. 1/11/71/96-97/PC-II—In exercise of the powers conferred under Paragraph 16 read with Paragraph 132 C of the Export and Import Policy, 1992—97, as amended, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in the Handbook of Procedures (Vol. 1) as amended.